विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

प्रतिवर्ष **17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय** को बढ़ावा देने और वैश्विक समुदाय को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों के लिये दंड से मुक्ति के खिलाफ लड़ाई का सम्मान करने के लिये विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है।

- **ऐतिहासिक महत्त्व:** 17 जुलाई 1998 को **रोम संविधि** को अपनाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court - ICC) की स्थापना हुई।
    - ICC संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है और संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को नियंत्रित करने के लिये इसका एक अलग समझौता है। वर्तमान में 124 देश ICC के रोम संविधि के पक्षकार हैं। **भारत रोम संविधि/ICCका पक्षकार नहीं है।**
    - **ICC पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है** और इसे 1 जुलाई 2002 को या उसके बाद किये गए नरसंहार,**युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध तथा आक्रामकता के अपराधों सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत** अपराधों पर अधिकार प्राप्त है।
    - रोम संविधि गंभीर अपराधों के लिये दंड से मुक्ति के विरुद्ध लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, तथा अपराधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
- यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय न्याय तंत्र तथा दंड से मुक्ति के मुद्दे को संबोधित करने तथा वैश्विक शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।

और पढ़ें: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/world-day-for-international-justice